

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1113/2014
संस्थित दिनांक-24.11.2014
फाई. क्र.234503009102014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखण्ड
जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

जोहनलाल पिता जेदूलाल, उम्र 23 वर्ष,
निवासी ग्राम खापा थाना बैहर जिला बालाघाट
हाल मुकाम अंडीटोला थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट

— — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 13/03/2018 को घोषित)

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 25.09.2014 को दिन के 04:00 मोहगांव से करुह रोड रज्जाक सेठ की राईस मिल के आगे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर साईकिल जिसका फ्रेम क्रमांक ए12340 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत सुकरोबाई को चोट पहुंचाकर पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया सुकवारो बाई ने अपने पुत्र डीलनलाल तिलासी के साथ दिनांक 15.10.14 को थाना उपस्थित होकर फरियाद दर्ज करायी कि दिनांक 25.09.14 के 04:00 बजे दिन में मोहगांव बाजार करके घर अण्डीटोला पैदल जा रही थी कि रज्जाक राईस मिल के आगे मेन रोड पर गांव का जोहनलाल यादव अंडीटोला तरफ से तेज गति लापरवाहीपूर्वक सायकिल चलाकर ठोस मार दिया, जिससे गिर जाने से चोटे आई। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटनास्थल का नजरी नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहानों के

कथन लेख किये गये। डॉ० द्वारा फ्रेक्चर होना रिपोर्ट में लेख करने से धारा-338 ता.हि. का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी जोहनलाल के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 163/14 दिनांक 18.11.14 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादिया सुकवारोबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध श्मनीय न होने से विचारण किया गया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 25.09.2014 को दिन के 04:00 मोहगांव से करूह रोड रज्जाक सेठ की राईस मिल के आगे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर साईकिल जिसका फ्रेम क्रमांक ए12340 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

05— साक्षी सुकरोबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी जोहनलाल को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग डेढ़ साल पहले मोहगाव के अंडीटोला की है। वह बाजार सामान लेने गयी थी, तभी अंडीटोला से आते हुए अपनी साईकिल से आरोपी ने उसे टक्कर मार दिया था,

आरोपी शराब पिये हुए था। ठोस लगने से वह गिर गयी थी, जिससे उसे छाती, पैर, घुटने एवं सिर पर चोटें आयी थी। घुटने में चोट लगने से उसका घुटना फ्रेक्चर हो गया था। वह अभी भी चल फिर नहीं सकती है। घटना होते हुए बाजार में लोगों ने देखा था, जिनके नाम उसे याद नहीं हैं, जिसकी रिपोर्ट उसने मलाजखण्ड में दर्ज करवायी थी, जो प्र.पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके अंगूठा निशानी है। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में हुआ था। पुलिस को उसने जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस स्थान को बताया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मौका-नक्शा प्र.पी02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसका अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी सुकरोबाई अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसे घटना का दिन व महीना याद नहीं है। घटना बहुत पुरानी होने के कारण वह दिन, महीना और तारीख नहीं बता सकती है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी जोहनलाल ने उसके ईलाज के लिए बारह सौ रुपये दिया था, जब वह ठीक नहीं हुई तो जोहनलाल से उसने ईलाज कराने के लिए बोला तो उसने ईलाज कराने के लिए मना कर दिया, आरोपी ने बोला था कि वह ईलाज नहीं कराता जो बनता है तो कर लो। वह अपने लड़के बीरनलाल के साथ थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट दर्ज करवाने गयी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी जोहनलाल यादव ने अपनी साईकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसे ठोस मार दिया था जिससे वह रोड पर गिर गयी थी। उसे याद नहीं है कि घटना होते हुए चंदन डोडरे ने देखा था। उसे उस समय सुध नहीं थी, उसे लोगों ने बताया था कि चंदन डोडरे ने घटना देखा है। यह स्वीकार किया है कि उसके नाति सतीष ने उसे घटनास्थल से उठाकर घर ले गया था।

07— साक्षी सुकरोबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के

इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के दिन मोहगांव का साप्ताहिक बाजार था, घटना दिनांक 25.09.2014 को हुई थी, बाजार के दिन मोहगांव की सड़क में भीड़-भाड़ रहती है, वह मोहगांव से बाजार करके सब्जी-भाजी लेकर अपने घर अंडीटोला जा रही थी, भीड़-भाड़ वाली जगह पर कोई भी व्यक्ति साईकिल धीरे चलाता है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी जोहनलाल साईकिल को धीरे चला रहा था, आरोपी साईकिल लापरवाहीपूर्वक नहीं चला रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी01 की रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखायी थी। यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी01 पर जो अंगुठा लगाया गया है वह कब लगाया गया है याद नहीं है। वह नहीं बता सकती कि उसने घटनास्थल कैसे जाकर बताया था।

08— साक्षी सुकरोबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि प्र.पी02 के अनुसार मौका-नक्शा कब और कहाँ बनाया गया था, जोहनलाल ने उसका ईलाज शुरू में करवाया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जोहनलाल ने उसे बारह सौ रुपये ईलाज के लिए दिया था और ऐसा यदि उसके पुलिस बयान में है, वह कैसे लिखा है वह नहीं बता सकती, आरोपी जोहनलाल ने उसका ईलाज ठीक होते तक करा दिया था, उसने उसके ईलाज-पानी के खर्चा मांगने पर और आरोपी द्वारा नहीं दिये जाने पर उसने झूठी रिपोर्ट लिखायी है।

09— साक्षी सतीष तिल्लासी अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी जोहनलाल को जानता है तथा आहत सुकरोबाई को भी जानता है। घटना वर्ष 2016 में गर्मी के समय की है। वह अपनी दादी माँ के साथ साईकिल से बाजार गया था, वापिस आते समय भीड़ अधिक होने के कारण पैदल आ रहे थे। आरोपी अण्डीटोला तरफ से साईकिल से आया और उसकी दादी माँ को टक्कर मार दिया, जिससे वह गिर गयी थी। उसने उन्हें उठाया व पानी पिलाया।

उसकी दादी माँ बेहोश हो गयी थी, घर लेकर गया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया और दादी माँ का ईलाज कराया था। उसने उसकी साईकिल तुरंत वहीं से उठाकर पुलिस थाने में जप्त करवाया था। एक्सीडेंट में साईकिल वाले की गलती थी, वह पैदल अपनी साईड से जा रहे थे, वहाँ पर भीड़ बहुत थी, फिर भी साईकिल वाले ने उसकी दादी को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

10— साक्षी सतीष तिल्लासी अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है उसकी दादी माँ को पैर पर चोट आयी थी, बालाघाट ले जाकर उनका एक्स-रे करवाया था। उनका पैर टूट गया था। यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने अपनी साईकिल फ्रेम क्रमांक 12430 को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मार दिया था, जिससे उसकी दादी को चोट आयी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना आज से तीन साल पहले की है, उसे घटना दिनांक, दिन, महीना एवं साल याद नहीं है।

11— साक्षी सतीष तिल्लासी अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को मोहगांव का साप्ताहिक बाजार था, उक्त बाजार में आसपास के सभी गांव के लोग बाजार करने आते हैं, बाजार होने के कारण उस दिन मोहगांव की सड़कों में भीड़-भाड़ रहती है, वह बाजार से वापस आ रहे थे, वह अपनी दादी के साथ में नहीं चल रहा था। साक्षी के अनुसार आगे-पीछे चल रहा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि भीड़ होने के कारण वह अपनी दादी से कहा कि आप भीड़ से बाहर निकलो वह आपको आगे मिलता है।

12— साक्षी सतीष तिल्लासी अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में यह बात बता दी थी कि वह अपनी दादी के साथ में चल रहा था, भीड़ वाली जगह पर कोई

व्यक्ति अपने वाहन को तेज नहीं चला सकता है, चूंकि वह अपनी दादी से कुछ दूरी पर चल रहा था, इसलिए यह घटना होते हुए उसने नहीं देखा था, उसने चलते हुए जब भीड़ देखा तब पता किया तो पता चला कि उसकी दादी को किसी ने टक्कर मार दी है, वह यह बात नहीं बता सकता कि चूंकि वह घटनास्थल से दूर था, तो यह नहीं बता सकता कि आरोपी ने अपनी साइकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे, उसकी दादी को जो चोट आयी थी वह स्वयं गिरने से आयी थी तथा घटना आज से लगभग दो साल पहले वर्ष 2014 की है।

13— साक्षी डिलनलाल अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी जोहनलाल को जानता है। आहत सुकरोबाई उसकी माँ है। घटना वर्ष 2014 में शाम चार बजे मोहगांव बाजार के पास की है। वह मोहगांव बाजार में गुड़ की दुकान लगाता है। बाजार के बाद शाम के समय जब वह घर पहुँचा तो देखा कि उसकी माँ सुकरोबाई को घुटने में चोट लगी थी। पूछने पर उसके लड़के सतीष ने बताया कि वह दादी के साथ मोहगांव बाजार से वापस लौट रहा था। बाजार के पास आरोपी जोहनलाल ने साइकिल से दादी को टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें घुटने पर चोटें आयी। उसे सतीष ने बताया था कि घटना आरोपी जोहनलाल की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने तेज गति व उतावलेपन से चलाकर सुकरोबाई को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था तथा वह अपने लड़के सतीष के बताये अनुसार घटना की बात बता रहा है।

14— साक्षी साहबसिंह उइके अ.सा.04 ने कथन किया है वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी जोहनलाल से हीरो कंपनी की साइकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर

उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष किसी प्रकार की जप्ती नहीं की थी, उसने थाना मलाजखण्ड में पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था। उसने जप्ती पत्रक पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था।

15— साक्षी तेजलाल अ.सा.05 ने कथन किया है कि उसके द्वारा थाना मलाजखंड के अपराध क्रमांक 156 / 14 में जप्तशुदा हीरो जेट कंपनी की पुरानी सायकिल का परीक्षण किया गया था, परीक्षण पर उसने हैंडल, चके, पिछला ब्रेक ठीक अवस्था में, अगला ब्रेक के रबर नहीं थे, पीछे का मरघाट निकला हुआ था तथा घंटी बंद थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.04 की रिपोर्ट उसकी हस्तलिपि में तैयार नहीं है, उसे मलाजखंड थाने वालों द्वारा बुलवाया गया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने सायकिल का परीक्षण नहीं किया था, प्र.पी.04 की रिपोर्ट बिना परीक्षण के पुलिस ने तैयार की थी और उस पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये थे।

16— साक्षी सुमेरसिंह अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष थाना मलाजखंड में हीरो साईकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को धारा-41 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी.05 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने थाना मलाजखंड में पुलिस वालों के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे।

17— साक्षी डॉ० डी०के० राउत अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह

दिनांक 11.11.2014 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 21.10.2014 को एक्स-रे टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत सुकरोबाई के दाहिने घुटने तथा सीने का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 8909 था, जिसे डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था तथा उसे आरक्षक पूजा बैरागी क्रमांक 463 ने एक्स-रे हेतु लाई थी। उपरोक्त एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिने पैर की टिबिया हड्डी के उपरी भाग में तथा फिबुला हड्डी के उपरी एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। सीने की हड्डियों में कोई अस्थिभंग नहीं था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चलती हुई सायकिल से बलपूर्वक गिरने से उक्त चोटें आ सकती हैं।

18— साक्षी ताराचंद अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2014 के शाम करीब 4:00 बजे मोहगांव बाजार के पास की है। घटना के समय आहत सुकरोबाई बाजार से वापस अपने घर अंडीटोला जा रही थी, तभी गांव के आरोपी जोहनलाल ने अपनी सायकिल से उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई और उसे घुटने पर चोट आयी। फिर सुकरोबाई को ईलाज के लिये ले गये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि सुकरोबाई अपनी दिशा से जा रही थी और आरोपी ने सामने से विपरीत दिशा में आकर उसे टक्कर मार दी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह लोगों के बताये अनुसार आरोपी की गलती वाली बात बता रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी और आहत को स्वयं गिरने से चोट आयी थी।

19— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.10.2014 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थिया श्रीमती सुकवारोबाई अपने पुत्र डिलनलाल तिल्लासी के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 25.09.2014 दिन गुरुवार को साप्ताहिक बाजार मोहगांव से सामान एवं सब्जी-भाजी खरीदकर वापस घर अण्डीटोला आ रही थी, तभी रज्जाक सेठ की राईस मिल के आगे मोहगांव से करहू मेन रोड पर करहू तरफ से जोहन यादव अण्डीटोला अपनी सायकिल को तेज गति लापरवाहीपूर्वक आया और उसे ठोस मार दिया, जिससे उसके बांये पैर के घुटने, सीना तथा बांये तरफ सिर तथा माथे पर चोटें आई हैं। घटना ताराचंद ढोढरे ने देखा है। नाती सतीष तिल्लासी उसे उठाकर घर लाया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 156/14 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-184 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो प्र.पी.01 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना दौरान प्रार्थी सुकवारोबाई तिल्लासी का मुलाहिजा मोहगांव अस्पताल में करवाया गया। जिसमें डॉ० एल.एन.एस. उइके द्वारा आहत को अभिमत हेतु अस्थिरोग विशेषज्ञ बालाघाट रिफर किया गया।

20— रामभजन साहू अ.सा.08 के अनुसार दिनांक 15.10.14 को प्रार्थिया सुकवारोबाई की निशादेही पर उसके द्वारा घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थिया सुकवारोबाई, गवाह डिलनलाल तिल्लासी तथा दिनांक 18.10.2014 को गवाह सतीष तिल्लासी, ताराचंद ढोढरे के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। दिनांक 01.11.2014 को आरोपी जोहनलाल यादव ने थाना मलाजखंड आकर पेश करने पर सायकिल जिसका फ्रेम नंबर हीरो जेट कंपनी की पुरानी सायकिल हरे रंग की जिसका फ्रेम नंबर ए-12430 गवाह साहेबसिंह उइके एवं सुम्हेरसिंह परते के

समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की धाराओं में सात वर्ष की सजा पाये जाने एवं माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरोपी सायकिल चालक को चालान पेश दिनांक हेतु धारा 41(1) द.प्र.स. की नोटिस तामील की गई जो प्र. पी.05 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

21— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.08 के अनुसार जिला अस्पताल बालाघाट से आहत सुकवारोबाई की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर फ्रेक्चर पाये जाने से धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया था। प्रकरण में जप्तशुदा सायकिल का परीक्षण परीक्षणकर्ता तेजलाल से करवाया गया है। उक्त सायकिल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर परीक्षणकर्ता तेजलाल ब्रम्हे के हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

22— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रार्थिया सुकवारोबाई द्वारा थाने में आकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 01 अपने मन से लेख कर लिया है, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 प्रार्थिया को पढ़कर नहीं सुनाया था और कोरे कागज पर उससे अंगुठा लगवा लिया था, उसके द्वारा मौका नक्शा प्र.पी.02 की कार्यवाही थाने में की गई थी। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर की गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मौका नक्शा बनाते समय साक्षी सुकवारोबाई उपस्थित नहीं थी, उसके द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किये गये थे। साक्षी के अनुसार साक्षीगण के बताये अनुसार लेख किया था।

23— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह

अस्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.03 में स्थान का विवरण जहां संपत्ति जप्त हुई थी उसका उल्लेख नहीं है। साक्षी के अनुसार आरोपी के द्वारा पेश करने पर जप्ती की कार्यवाही की गई थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.03 व प्र.पी.05 की कार्यवाही के समय साक्षी साहेबसिंह एवं सुन्हेरसिंह उपस्थित नहीं थे, प्र.पी.03 एवं प्र.पी.05 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, सायकिल परीक्षण रिपोर्ट उसके द्वारा अपने मन से तैयार करवाई गई थी, उसके द्वारा प्रकरण की समस्त विवेचना झूठी की गई है।

24— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा चालित सायकिल से हुई दुर्घटना में परिवादी सुकरोबाई को चोटें कारित हुई थी, क्योंकि परिवादी सुकरोबाई अ.सा.01 द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त संबंध में कथन किये गये हैं, जिसकी पुष्टि सतीष अ.सा.02, डिलनलाल अ.सा.03, तथा ताराचंद अ.सा.10 के कथनों से होती है। अब प्रश्न अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षा का है। आपराधिक उतावलापन ऐसे बोध के साथ किसी कार्य को करने के कहते हैं कि उसके रिष्टिपूर्ण एवं अवैध परिणाम हो सकते हैं। इसी प्रकार आपराधिक उपेक्षा इस बोध के बिना कोई कार्य करने में है कि उसका अवैध और रिष्टि पूर्ण प्रभाव होगा, परंतु ऐसी परिस्थितियों में जो कि यह दर्शित करती है कि कर्ता ने उस सावधानी को नहीं बरता है, जो कि उसकी ओर से अपेक्षित थी और यदि उसने वह सावधानी बरती होती तो, जो उसे बोध होता। अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर सड़क किनारे चल रही आहत सुकरोबाई को सामने से टक्कर मारकर जिस प्रकार दुर्घटना कारित की गई है, उससे उसकी उपेक्षा तथा उतावलेपन का निष्कर्ष सहज ही दिया जा सकता है।

25— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त जोहनलाल यादव द्वारा अपनी सायकिल फ्रेम क्रमांक ए.12340 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया। फलतः अभियुक्त

जोहनलाल यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

26— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

27— अतः अभियुक्त जोहनलाल यादव को धारा-279 भा.दं०सं० में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

28— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

29— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति साईकिल जिसका फ्रेम क्रमांक ए-12340 न्यायालय में सुरक्षार्थ रखा गया है। जप्तशुदा सायकिल को उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

31— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)